

पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री प्रमोद कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में SOG टीम व महरौनी पुलिस द्वारा तीन शातिर अभियुक्तों को लगभग 1 लाख 40 हजार की चोरी के आभूषण व नगद रुपएके साथ गिरफ्तार किया गया ।



ललितपुर



पुलिस



दिनांक- 03.02.2021 “सराहनीय कार्य”

पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री प्रमोद कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में SOG टीम व महरौनी पुलिस द्वारा तीन शातिर अभियुक्तों को लगभग 1 लाख 40 हजार के चोरी के आभूषण व नगद रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया ।





प्रेस नोट

थाना महरौनी जनपद ललितपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर श्री प्रमोद कुमार के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर गिरिजेश कुमार व फूलचन्द्र क्षेत्राधिकारी महरौनी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद/ थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभारी निरीक्षक अलमा अहिरवार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अपराध व अपराधियों की रोकथाम व तलाश वाछित हेतु चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर पचौडा नहर की पुलिया के पास बहद ग्राम पचौडा थाना महरौनी जिला ललितपुर से अभियुक्तगण को समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से बरामदगी क्रमशः: 1. अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बरेजा थाना नाराहट जिला ललितपुर से 01 अदद लोकेट, व 05 अदद गुरिया, पीली धातू सोने की, तथा नगद 9030/- रु. तथा 01 नीला स्वेटर, 2. अभियुक्त शाहरूख खान पुत्र कमरुद्दीन खान उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मोहल्ला नेहरू नगर कोतवाली जिला ललितपुर से 01 जोड़ी पायल, 06 जोड़ी विछिया, एक ताबीज, एक सफेद धातू की अंगूठी, तथा नगद 9600/- रु. तथा 3. अभियुक्त छोटू राजपूत पुत्र लाल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मुहल्ला नेहरू नगर कोतवाली जिला ललितपुर से एक मोबाईल, नगद 9600/- रु. बरामद किया गया। कुल बरामदगी 28230/- रु. तथा सोने का मंलसूत्र व चांदी का जेवरात व 01 स्वेटर व 01 अदद मोबाईल अभियुक्तगणों के कब्जे से बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली महरौनी पर मु.अ.सं. 26/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग दिनांक 31.1.2021 को अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उपरोक्त माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है। अभियुक्तगणों द्वारा वादी श्री नीरज पुत्र प्रताप नारायण पुरोहित के निवारी स्थित मकान में घुसकर नगदी 63000/-, जेवरात, मोबाईल, स्वेटर आदि चोरी कर ले गये थे। वादी द्वारा अपने माल की शिनाक्त की गयी तो बताया कि यही मेरा चोरी गया हुआ माल है जो बरामद हुआ है।

अभियुक्तगण क्रमशः-

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बरेजा थाना नाराहट जिला ललितपुर
2. शाहरूख खान पुत्र कमरुद्दीन खान उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला नेहरू नगर कोतवाली जिला ललितपुर
3. छोटू राजपूत पुत्र लाल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मुहल्ला नेहरू नगर कोतवाली जिला ललितपुर

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका- रात्रि में सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी करना।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

1. अभि. जितेन्द्र सिंह - 01 अदद लोकेट, व 05 अदद गुरिया, पीली धातू सोने की, तथा नगद 9030/- रु. तथा 01 नीला स्वेटर
2. अभि. शाहरूख खान - 01 जोड़ी पायल, 06 जोड़ी विछिया, एक ताबीज, एक सफेद धातू की अंगूठी, तथा नगद 9600/- रु.
3. अभि. छोटू राजपूत - एक मोबाईल, नगद 9600/- रु. बरामद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. अभि. जितेन्द्र सिंह- (1)-मु.अ.सं. 26/21 धारा 380/457/411 भादवि
2. अभि. शाहरूख खान- (1)- मु.अ.सं. 26/21 धारा 380/457/411 भादवि
3. अभि. छोटू राजपूत- (1)- मु.अ.सं. 26/21 धारा 380/411/457 भादवि व (2)-मु.अ.सं. 157/20 धारा 60 Ex.Act गिरफ्तार करने वाली टीम के अधि0/कर्म0 का नाम-

1. निरीक्षक जीतेन्द्र सिंह चंदेल एस.ओ.जी. प्रभारी, 2. उ.नि. राजबाबू, 3. हे.का. सत्रुजंय, 4. का. अमित पाठक, 5. का. तेज प्रताप, 6. अरून त्रिपाठी 7. चालक सलाउद्दीन, 8. उ.नि. गुलाब सिंह थाना महरौनी 9. का. 752 प्रशान्त राजपूत, 10. का0 रामनरेश गोचर, 11. का0 1060 प्रदीप कुमार।

